

1

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : 10/P.I/2016

दिनांक : 17-05-2016

परिपत्र

आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है कि आपराधिक न्यायालयों द्वारा इन प्रावधानों की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है जिससे आपराधिक प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा इस प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया गया है।

उपरोक्त स्थिति में सभी आपराधिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कठोरता से समय पालन के साथ-साथ विचारण में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए बनाये गये कानूनी प्रावधानों की अक्षरशः पालना करें।

इस क्रम में अपनी दैनिक कॉजलिस्ट पर नियंत्रण रखें। कॉजलिस्ट में इतना कम काम नहीं लगाये कि न्यायालय समय व्यर्थ जाये और इतने अधिक प्रकरण भी नहीं लगाये कि सिर्फ तारीख पेशी देने में न्यायालय समय व्यतीत हो जावे बल्कि अपनी निर्गरानी में प्रतिदिन की सुनवाई के लिए उतने ही प्रकरण लगाये जिन सभी में प्रभावी कार्यवाही हो सके।

आपराधिक न्यायालयों का काफी समय अभियुक्तगण एच गवाहों की तलबी में जाया होता है, अतः तलबी की पत्रावलियों को नजरअंदाज नहीं करें बल्कि उन पर नियंत्रण रखें और तामील सुनिश्चित करने के क्रम में आवश्यक कदम उठायें। सूची साक्षीगण में यदि साक्षीगण के मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग करें।

अभियुक्तगण के अभिरक्षा में होने पर उनके मामलों को प्राथमिकता प्रदान करें। सारांश सुमाने या चार्ज लगाने की स्टेज पर प्रकरण को अनावश्यक लम्बित नहीं रखें बल्कि न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या को देखते हुए हर प्रकरण में आरोप विरचित करने/उन्मोचन करने की कार्यवाही यथा सम्भव शीघ्र सुनिश्चित करें।

प्रत्येक प्रकरण में साक्षीगण की सूची पर ध्यान दें। सिर्फ आवश्यक साक्षीगण को परीक्षित करने एवं अनावश्यक साक्षीगण के लिए विलंब को नियंत्रित करने हेतु विधिक स्थिति के अनुरूप कार्यवाही करें। धारा 294 द०प्र०स० के प्रावधानों को काम में लें। इसी तरह न्यायपूर्ण विनिश्चय की दृष्टि से धारा 313 द०प्र०स० के अन्तर्गत किसी

भी स्टेज पर आवश्यक होने पर अभियुक्त के परीक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का उपयोग करें।

साक्ष्य में उतने ही प्रकरण पेशी में लगायें जिनमें न्यायालय में उपस्थित सभी गवाहों के बयान लिये जा सकें। उपस्थित गवाहों के बयान आवश्यक रूप से लेखबद्ध करें। यदि उसी दिन साक्ष्य पूरी नहीं हो तो प्रकरण को दिन प्रतिदिन लगाकर उपस्थित साक्षीगण की साक्ष्य पूरी करें। इस सम्बन्ध में धारा 309 दं० प्र० सं० एवं प्रभावी न्यायिक नजीरों की अक्षरशः पालना करें।

एक ही डॉक्टर, अनुसंधान अधिकारी व अन्य लोक सेवक यदि कई मामलों में साक्षी हों तो उनकी साक्ष्य के लिए एक साथ कई मामले लगाये ताकि उन्हें बार-बार नहीं आना पड़े और अभियोजन साक्ष्य भी पूरी हो सके। उपस्थित लोक सेवकों/वरिष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग, रोगी एवं बालकों की साक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर लेखबद्ध करें। साक्षीगण एवं न्यायालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ संवेदनशील व सम्मानजनक व्यवहार करें। लम्बी व तंग करने वाली जिरह को नियंत्रित करने के लिये सम्बंधित कानूनी प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करें।

न्यायालय समय का व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रारम्भ में चार्ज सारांश एवं बयान मुलजिम के प्रकरण निपटारें। तदुपरांत उपस्थित साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करें। साक्ष्य का कार्य पूरा होने के पश्चात् ही बहस सुनने का कार्य प्रारम्भ करें ताकि उपस्थित पक्षकारों को इन्तजार नहीं करना पड़े और स्वतंत्र दिमाग से बहस सुनने व निर्णय लिखाने का कार्य सम्पादित किया जा सके।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् धारा 313 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत अभियुक्तगण की परीक्षा के लिए प्रकरण को अनावश्यक लम्बित नहीं रखें बल्कि अविलम्ब परीक्षण करें। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत होने वाले आवेदन-पत्रों का शीघ्रता से निस्तारण करें।

अंतिम बहस की स्टेज पर अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं करें बल्कि यथासंभव शीघ्र बहस सुनें या लिखित बहस स्वीकार करें और बहस सुनने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में नियत पेशी पर निर्णय सुनायें।

निर्णय के साथ मालखाना आर्टिकल्स के निस्तारण बाबत आदेश अवश्य पारित करें। इसी तरह धारा 357 (ए) दं० प्र० सं० के अन्तर्गत पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के सम्बन्ध में अनुशंसा करने या नहीं करने के प्रावधानों की पालना करें। निर्णय के समय आवश्यक होने पर सजा वारण्ट तैयार करायें ताकि अपील होने पर विचारण न्यायालय की पत्रावली में सजा वारण्ट संलग्न रहे और आवश्यकता होने पर उसका उपयोग किया जा सके।

सभी जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण अपने न्यायक्षेत्र में उपरोक्त निर्देशों एवं आपराधिक प्रकरणों के निस्तारण में देरी को रोकने तथा उनके शीघ्र निस्तारण के लिए बनाए गए सभी विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।

नोट:— समयबद्ध एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना प्रभावी विधिक प्रावधानों के अधीन (subject to prevailing legal provisions) की जानी है।

रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक : Gen./XV/(e)2/2016/ 300U Date : 17-05-2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को इस निर्देश के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों/समस्त विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय को वितरित कर उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/पट्ट जयपुर।
3. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, सामान्य अनुभाग, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को रक्षित पत्रावली हेतु।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)